

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

151

/2024-25 दिनांक: 19 जून 2024

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-09 एवं धारा-10 में निहित व्यवस्था के क्रम में दी गयी संस्तुति पर निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल-10) को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्यपाल कुमार	का0खं0शि0अ0 नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल।	का0उ0शि0अ0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री लीलाधर नगरकोटी	का0खं0शि0अ0 कनालीछीना, पिथौरागढ़।	का0उ0शि0अ0 चौखुटिया, अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री सुरेन्द्र दत्त बहुगुणा	का0उ0शि0अ0 मोरी उत्तरकाशी।	का0उ0शि0अ0 वेतालघाट, नैनीताल।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री क्षेत्रपाल सिंह टम्टा	का0उ0शि0अ0 जखोली, रूद्रप्रयाग।	का0उ0शि0अ0 बाराकोट, चंपावत।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री हेमचन्द्र गुरुरानी	का0खं0शि0अ0 गरूड़, बागेश्वर।	जिला शिक्षा एवं प्रशि0 संस्थान, बागेश्वर।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

Kwalep

12

(रामकृष्ण खनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सेवार्ये-3(3)/

4293-4307

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

Kuldeep

As

(कपला बड़वाली) 6/6/2024
उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

152

/अनि0स्था0/2024-25

दिनांक: 19 जून 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 15-06-2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-13 एवं धारा-17(1)ख (एक से सात) में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल-10) को उसी पद एवं वेतनमान में अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश चन्द्र सती	का0उ0शि0अ0 नारायणबगड़, चमोली	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रतूड़ा, रूद्रप्रयाग।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	का0उ0शि0अ0 जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।	का0अ0नि0मा0शि0 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री जूरा सिंह महारा	का0उ0शि0अ0 दशोली, चमोली।	का0खं0शि0अ0 जखोली, रूद्रप्रयाग।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री नरेन्द्र कुमार जोशी	का0उ0शि0अ0 खटीमा, उ0सिं0 नगर।	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री जगप्रीत सिंह	का0उ0शि0अ0 नारसन, हरिद्वार।	का0उ0शि0अ0 बहादुराबाद, हरिद्वार।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
6	श्रीमती किरन जोशी	का0उ0शि0अ0 पाटी, चंपावत।	रा0इ0का0 लोहाघाट, चंपावत।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
7	श्री गोविन्द सिंह रावत	का0उ0शि0अ0 हवालबाग, अल्मोड़ा।	जिला शिक्षा एवं प्रशि0 संस्थान, अल्मोड़ा।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
8	डा0 रमा पाण्डे	का0उ0शि0अ0 धौलादेवी, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 सितारगंज, उधम सिंह नगर।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
9	श्री नीरज बिष्ट	का0खं0शि0अ0 पाटी, चंपावत।	का0खं0शि0अ0 नारायणबगड़, चमोली।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
10	श्री शंकर सिंह बिष्ट	का0खं0शि0अ0 नन्दानगर, चमोली।	का0खं0शि0अ0 दशोली, चमोली।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
11	श्री महिपाल सिंह पंवार	का0उ0शि0अ0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा।	का0उ0शि0अ0 जोशीमठ, चमोली।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
12	श्री आलोक कुमार टम्टा	का0उ0शि0अ0 भैंसियाछाना, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 हवालबाग, अल्मोड़ा।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
13	श्री मनोज कुमार थपलियाल	का0खं0शि0अ0 थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	का0उ0शि0अ0 नौगांव, उत्तरकाशी।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।

Kuldeep

18


2

2024

14	श्री भागीरथ प्रसाद नौटियाल	का0खं0शि0अ0 मोरी, उत्तरकाशी।	का0उ0शि0अ0 थौलघार, टिहरी गढ़वाल।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
15	श्रीमती हेमा कन्याल	का0खं0शि0अ0 ओखलकाण्डा, नैनीताल।	का0खं0शि0अ0 वेतालघाट, नैनीताल।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
16	श्रीमती देवकी विष्ट	का0उ0शि0अ0 भीमताल, नैनीताल।	अ0उ0रा0वा0इ0का0 किच्छा, उ0सिं0 नगर।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
17	श्री नरेन्द्र सिंह देवली	का0उ0शि0अ0 मुन्स्यारी, पिथौरागढ़।	का0खं0शि0अ0 मुन्स्यारी, पिथौरागढ़।	दुर्गम से दुर्गम श्रेणी	उपलब्ध रिक्त पद पर
18	श्री नीरज लोहनी	का0उ0शि0अ0 ओखलकाण्डा, नैनीताल।	का0खं0शि0अ0 भिक्यारसैण, अल्मोड़ा।	दुर्गम से दुर्गम श्रेणी	उपलब्ध रिक्त पद पर

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित अधिकारी जो जनपद चमोली एवं हरिद्वार के अन्तर्गत हैं को संबंधित जनपद में विधानसभा उप चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही करेंगे।


(रामकिशन उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/सेवायें-3(3)/ 4308-4322 /अनि0स्था0/2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।






12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद चमोली एवं हरिद्वार से संबंधित स्थानान्तरित अधिकारियों को उक्त जनपद में विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

Kulsh

Rz


(कमल बड़वाल) 6/2024
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

153

/अनि0स्था0/2024-25

दिनांक: 19 जून 2024

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-09 एवं धारा-10 में निहित व्यवस्था के क्रम में दी गयी संस्तुति पर निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 47600-151100, लेवल-08) को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता साह	का0मु0शि0अ0 नैनीताल।	का0खं0शि0अ0 धारी, नैनीताल।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री पानदेव पाठक	का0खं0शि0अ0 जैनल, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 सल्ट, अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री मोहित कुमार पाण्डे	रा0बा0इ0का0 दन्या, अल्मोड़ा।	का0जि0शि0अ0 (मा0शि0) अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री शशिभूषण सेमवाल	रा0इ0का0 भट्टगांव, टिहरी गढ़वाल।	जि0शि0 एवं प्रशि0 संस्थान, नई टिहरी।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री देवेन्द्र सिंह पंवार	का0खं0शि0अ0 नारायणबगड़, चमोली।	रा0बा0इ0का0 गौचर चमोली।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
6	श्री रामचन्द्र सिंह राणा	रा0इ0का0 चौड़मन्या, अल्मोड़ा।	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
7	श्रीमती आनन्दी गोस्वामी	रा0इ0का0 भटखोला, बागेश्वर।	रा0इ0का0 रंवाईखाल, बागेश्वर।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
8	श्री राजेश पुरोहित	रा0इ0का0 जाखाल भरदार, रूद्रप्रयाग।	का0जि0शि0अ0 (प्रा0शि0) रूद्रप्रयाग।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
9	श्री विजय सिंह चौहान	रा0इ0का0 जगतेश्वर, पौड़ी।	का0खं0शि0अ0 कल्जीखाल, पौड़ी।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।


स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

Kuldeep

By

3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक जो जनपद चमोली एवं हरिद्वार के अन्तर्गत हैं को संबंधित जनपद में विधानसभा उप चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही करेंगे।


(कमला बड़वाल) 16/6/2024

प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

/अनि0स्था0/2023-24 तददिनांक।


पृ0सं0/सेवायें-3(3)/ 4323-4337

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद- चमोली/हरिद्वार को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

Kuldeep




कमला बड़वाल 16/6/2024
प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

154

/अनि0स्था0/2024-25

दिनांक: 19 जून 2024

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 15-06-2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/स्था0वैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-13 एवं धारा-17(1)ख (एक से सात) में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 47600-151100, लेवल-08) को उसी पद एवं वेतनमान में अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दिनेश सिंह रावत	का0खं0शि0अ0 खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल।	का0खं0शि0अ0 डोईवाला, देहरादून।	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री अशोक चन्द्र गौड़	रा0इ0का0 पजिटिलानी, कालसी, देहरादून।	महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री निशिकांत जोशी	का0जि0शि0अ0 (प्रा0शि0) नैनीताल।	का0अ0नि0 (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री अनंग पाल	रा0आ0इ0का0 थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	का0खं0शि0अ0 भगवानपुर हरिद्वार।	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री मंगल सिंह	अ0उ0रा0बा0इ0का0 रुद्रपुर, उ0सिं0 नगर।	जि0शि0 एवं प्रशि0 संस्थान रुद्रपुर, उधम सिंह नगर।	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
6	श्री ईश्वरी सिंह	रा0बा0इ0का0 सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर।	का0खं0शि0अ0 खटीमा, उ0सिं0 नगर।	गम्भीर रोगग्रस्त कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
7	श्रीमती विमला विष्ट	अ0उ0रा0इ0का0 दन्या, अल्मोड़ा।	अ0उ0रा0बा0इ0का0, नैनीताल।	दिव्यांग कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
8	श्री मनोज कुमार	रा0इ0का0 भोगपुर, हरिद्वार।	रा0इ0का0 भेल, हरिद्वार।	दिव्यांग कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
9	श्री प्रमोद पाण्डे	का0खं0शि0अ0 सितारगंज, उधम सिंह नगर।	का0जि0शि0अ0 (मा0शि0) उधम सिंह नगर।	पुत्र दिव्यांग	उपलब्ध रिक्त पद पर।
10	श्रीमती वीना कंडवाल	अ0उ0रा0इ0का0 नन्दासैण, चमोली।	रा0इ0का0 लक्ष्मणझूला, पौड़ी।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
11	श्रीमती मुक्ता चौहान	रा0इ0का0 ल्वारा रुद्रप्रयाग।	का0खं0शि0अ0 रायपुर, देहरादून।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
12	श्रीमती जगदम्बा साह	अ0उ0रा0इ0का0 सूपी, बागेश्वर।	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
13	श्रीमती किरन विष्ट	रा0इ0का0 कलोगी, उत्तरकाशी।	एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।

Kulsh

m

Sheer

14	श्रीमती नन्दी तिवारी	रा0इ0का0 कपकोट, बागेश्वर।	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
15	श्रीमती मालती देवी	रा0इ0का0 पुभाऊ, अल्मोड़ा।	रा0इ0का0 नारायणनगर, हल्द्वानी, नैनीताल।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
16	श्रीमती उर्मिला गुंसाई	अ0उ0रा0इ0का0 मथकुडीसैण, टिहरी गढ़वाल।	का0गु0शि0अ0 देहरादून।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
17	श्रीमती विमला बिष्ट	का0अ0नि0प्रा0शि0 नैनीताल।	रा0इ0का0 रातीघाट, नैनीताल।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
18	श्री पानदेव पाठक	का0खं0शि0अ0 भिकियारसैण, अल्मोड़ा।	रा0इ0का0 नैकणारसिया अल्मोड़ा।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
19	श्री जगदीश लाल	का0खं0शि0अ0 पौड़ी।	रा0इ0का0 माजरीग्रांट, देहरादून।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
20	श्री विजय कुमार शाह	का0मु0शि0अ0 रुद्रप्रयाग।	रा0इ0का0 छरवा, देहरादून।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
21	श्री कैलाश नाथ महंत	रा0इ0का0 देवीधुरा, चंपावत।	का0जि0शि0अ0 मा0शि0 चंपावत।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
22	श्री रमेश सिंह	का0खं0शि0अ0 पोखड़ा, पौड़ी।	का0खं0शि0अ0 दुगड़ा, पौड़ी।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
23	श्री देव शर्मा	रा0इ0का0 द्वारीपैना, पौड़ी गढ़वाल।	का0जि0शि0अ0 (प्रा0शि0) हरिद्वार।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
24	श्रीमती अमिता चौहान	का0खं0शि0अ0 चकराता, देहरादून।	का0खं0शि0अ0 विकासनगर, देहरादून।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
25	श्री भरत सिंह बर्वाल	रा0इ0का0 नौलबासर, भिलंगना, टिहरी गढ़वाल।	रा0इ0का0 गरखेत, टिहरी गढ़वाल।	दुर्गम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
26	श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय	रा0बा0इ0का0 पाये, बागेश्वर।	रा0इ0का0 धानाचूली, नैनीताल।	दुर्गम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
27	श्री हेमन्त कुमार चन्दोला	रा0इ0का0 देवलीखेत, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 ओखलाकाण्डा, नैनीताल।	दुर्गम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
28	श्री विनय कुमार भट्ट	रा0इ0का0 मैगड़ीस्टेट, बागेश्वर।	रा0बा0इ0का0 थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।	दुर्गम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
29	श्रीमती इंदिरा डिमरी	रा0इ0का0 अखोड़ी, टिहरी गढ़वाल।	रा0इ0का0 मैण्डखाल, टिहरी गढ़वाल।	दुर्गम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
30	श्री राजेन्द्र सिंह	का0मु0शि0अ0 पौड़ी।	का0खं0शि0अ0 थलीसैण, पौड़ी।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

Kuldeep

12

2019

5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक जो जनपद चमोली एवं हरिद्वार के अन्तर्गत हैं को संबंधित जनपद में विधानसभा उप चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही करेंगे।


(कमला बड़वाल) 6/2024

प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
/अनि0स्था0/2023-24 तददिनांक।

पृ0सं0/सेवायें-3(3)/


4338-4352

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद चमोली एवं हरिद्वार से संबंधित कार्मिकों को विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

Kuldub

Az


(कमला बड़वाल) 6/2024

प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/वा0स्था0/

155

/2024-25, दिनांक: 19 जून, 2024

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश संख्या 1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15 जून, 2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : विविध/2116-22/स्था0 बैठक/2024-25, दिनांक 02 मई, 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-9 एवं धारा-10 में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 44900-142400, लेवल-7) का उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनुराग कुमार सिंह बिष्ट	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड	रा.इ.का. सावडा, देहरादून	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर
2	श्री अजय कुमार रावत	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कोट, पौड़ी	रा.इ.का. आगरचट्टी, चमोली	सुगम से दुर्गम	---तदैव---
3	श्री मंजीत सिंह सजवाण	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र नगर	रा.इ.का. मुन्दोली, चमोली	सुगम से दुर्गम	---तदैव---
4	श्रीमती भागीरथी उप्रेती	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कनालीछीना पिथौरागढ़	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
5	श्रीमती अंजना रावत	कार्या. उप शिक्षा अधि. मुनस्यारी पिथौरागढ़	रा.इ.का. धारचूला, पिथौरागढ़	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
6	श्रीमती शोभा जोशी	रा.इ.का. सुन्दरखाल, नैनीताल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी चम्पावत	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
7	श्री नवल किशोर सोराडी	रा.इ.का. बदियाकोट, बागेश्वर	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, गैरसैण, चमोली	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
8	श्री संजय कुमार	रा.बा.इ.का. बेतालघाट नैनीताल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, लोहाघाट चम्पावत	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
9	श्री सुशील कुमार	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी पोखडा, पौड़ी	रा.इ.का. सिमली, चमोली	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
10	श्रीमती एकता नेगी	रा.इ.का. चौरीखाल, पौड़ी	कार्या. जि.शि.अ. (मा.शि.) रुद्रप्रयाग	दुर्गम से सुगम	---तदैव---
11	श्री बसन्त बल्लभ मिश्रा	रा.इ.का. भौनखाल, अल्मोडा	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी धारचूला, पिथौरागढ़	दुर्गम से सुगम	---तदैव---

12	श्री ललित मोहन चतुर्वेदी	रा.इ.का. गौरगचौर, पिथौरागढ़	कार्या. जि.शि.अ. (प्रा.शि.) चम्पावत	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर
13	श्रीमती पूर्णिमा भोज	रा.इ.का. नौगांव रीढगढ अल्मोडा	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, वारकोट, चम्पावत	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
14	श्री विजय प्रताप सिंह	रा.इ.का. मवानी दवानी, पिथौरागढ़	रा.इ.का. सहिया, देहरादून	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
15	श्री दयाराम बिजल्वाण	रा.इ.का. बंगियाल, टि.ग.	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
16	श्री शैलेश पन्त	रा.इ.का. उछौती, पिथौरागढ़	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, दशोली, चमोली	दुर्गम से सुगम	—तदैव—



स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक जिनका विद्यालय/कार्यालय जनपद हरिद्वार एवं चमोली के अन्तर्गत है, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त दोनो जनपदों में विधान सभा उप चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त ही कार्यग्रहण/कार्यभार मुक्त करेंगे।

(कमला बड़वासी) 16/06/2024
प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
A2

- पृ0सं0/सेवायें-3(2)/वा0 स्था0/ 4353-4368 /2024-25, तददिनांक।
- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
 6. संयुक्त निदेशक, लेखा स्थापना, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
 7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
 8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
 9. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.), सम्बन्धित जनपद।
 10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
 11. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
 12. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु0शि0अ0)

13. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी।
15. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
16. कार्यालय गार्ड फाईल।


प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून


निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/वा0 स्था0/

156

/2024-25, दिनांक : 19 जून, 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश संख्या I/130236/XXX(2)/2023/E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15 जून, 2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : विविध/2116-22/स्था0 बैठक/2024-25, दिनांक 02 मई, 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 एवं धारा-17 (1) ख (एक से सात) में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 44900-142400, लेवल-7) का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता पेटवाल	रा.इ.कॉ. गडूगाड मोरी, उत्तरकाशी	रा.बा.इ.का. ज्वालापुर, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	उपलब्ध रिक्त पद पर
2	श्रीमती राम रोशनी	कार्या. उ.शिअ. नारायणबगड, चमोली	जि.शि.एवं प्र. संस्थान चड़ीगांव, पौड़ी	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
3	श्रीमती प्रमिला कुमारी	राजकीय इन्टर कॉलेज थल, पिथौरागढ़	कार्या. उ.शिअ. चम्पावत	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
4	श्री हरीश चन्द्र सिंह	कार्या0 उप शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी	रा.इ.का. जौलजीवी, पिथौरागढ़	धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक जिनका विद्यालय/कार्यालय जनपद हरिद्वार एवं चमोली के अन्तर्गत है, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त दोनो जनपदों में विधान सभा उप चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त ही कार्यग्रहण/कार्यभार मुक्त करेंगे।

(कमला बड़वाल) 19/6/2024

प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

2 A2



पृ0सं0/सेवायें-3(2)/वा0 स्था0/ 4369-4383

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
16/06/2024


निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/वा0 स्थाना0 / 157

/2024-25, दिनांक: 19 जून, 2024

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश संख्या I/130236/XXX(2)/2023/E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15 जून, 2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : विविध/2116-22/स्था0 बैठक/2024-25, दिनांक 02 मई, 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-09 एवं धारा-10 में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35400-112400, लेवल-06) का उसी पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मधुवाला पुण्डीर	रा.इ.का. दुधली, देहरादून	रा.इ.का. पूर्वालादोगी, टि. ग.	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर
2	श्री सन्दीप कुमार डिमरी	रा.इ.का. जोशिमढ़ रूद्रप्रयाग	रा.इ.का. गौणा, चमोली	सुगम से दुर्गम	—तदैव—
3	ईरम खान	रा.बा.इ.का. ब्रहमपुरी, देहरादून	रा.इ.का. पोखरी, टि.ग.	सुगम से दुर्गम	—तदैव—
4	श्री तेवेन्द्र प्रसाद	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, कपकोट, बागेश्वर	कार्या. ख.शि.अ. सल्ट अल्मोडा	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
5	श्रीमती शकुन्तला रावत	रा.इ.का. पैतौली, चमोली	रा.इ.का. तिलकनगर, रूद्रप्रयाग	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
6	श्रीमती ललिता पांगती	कार्या. ख. शि. अ., मुनस्यारी, पिथौरागढ़	रा.इ.का. गुलरघट्टी, नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
7	श्री प्रकाश चन्द्र काण्डपाल	रा.इ.का. धैना, बागेश्वर	रा.इ.का. बैलपडाव, नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
8	श्री भूपाल सिंह रावत	रा.बा.इ.का. पुरडा, बागेश्वर	कार्या. जि.शि.अ. प्रा.शि. बागेश्वर	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
9	श्री श्याम सिंह प्रथौली	रा.इ.का. माऊ चम्पावत	कार्या. उ.शि.अ. बारकोट चम्पावत	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
10	मोवीन	रा.इ.का. पौंथी, रूद्रप्रयाग	कार्या. ख.शि.अ. कालसी, देहरादून	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
11	श्री राकेश मल्होत्रा	रा.इ.का. कुन्ना डागुरा, देहरादून	रा.इ.का. जाजल, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
12	श्रीमती रजनी देवी	रा.इ.का. कुमशिला, भिलंग, टि.ग.	रा.इ.का. केमरा केमर, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
13	श्री चन्द्रशेखर	रा.इ.का. द्वारसौं, अल्मोडा	कार्या. उ.शि.अ. ताडीखात, अल्मोडा	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
14	ज्योति सागर पाण्डेय	रा.इ.का. उत्तमसैणी, अल्मोडा	कार्या. उ. शि. अ. द्वाराहाट, अल्मोडा	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
15	सलमान हुसैन	रा.इ.का. खेत, पिथौरागढ़	कार्या. ख.शि.अ. धारचूला, पिथौरागढ़	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
16	श्री संदीप कुमार आर्या	रा.बा.इ.का. लम्बगांव, टि.ग.	रा.इ.का. ढुंगीधार, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
17	रेखा कोहली	रा.बा.इ.का. गैरसैण, चमोली	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम से सुगम	—तदैव—

18	श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत	रा.इ.का. कोठुली, चमोली	रा.इ.का. कण्डारा, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर
19	श्री अरुण शेखर	रा.इ.का. डडोली, पौड़ी	रा.इ.का. जस्सागांजा, नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
20	श्री कैलाश सिंह	रा.वा.इ.का. पावों, पौड़ी	कार्या. ख.शि.अ. पावों, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
21	श्री नरेश कुमार नौटियाल	रा.इ.का. सांकरी, उत्तरकाशी	कार्या. उ.शि.अ. नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
22	श्री देवी लाल शाह	रा.इ.का. कासुवा, चमोली	जि.शि.अ. मा.शि. टि.ग. नरेन्द्र नगर	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
23	श्री भगत सिंह कण्डवाल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, थराली, चमोली	कार्या. ख.शि.अ. सहसपुर, देहरादून	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
24	श्रीमती सीमा चौहान	रा.इ.का. रानागीठ, उत्तरकाशी	रा.इ.का. जोशियाडा, उत्तरकाशी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
25	श्री किशोर सिंह	रा.इ.का. पलेठी, डडोली, टि.ग.	रा.इ.का. चमराडादेवी, भरपूर, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
26	श्री अमित कुमार	रा.इ.का. बांदा, टि.ग.	रा.इ.का. काण्डीखाल, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
27	श्री सन्तोष कडाकोटी,	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नैनीडांडा, पौड़ी	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोडा	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
28	समीन मोहम्मद	रा.इ.का. हरमनी, चमोली	कार्या. ख.शि.अ. जाखणीधार, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
29	सुदामा	रा.इ.का. बोंरागाड चमोली	कार्या. उ.शि.अ. भिलंगना, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
30	श्री नीरज चौहान	रा.इ.का. शैल, पिथौरागढ़	कार्या. ख.शि.अ. विण पिथौरागढ़	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
31	श्री प्रभात रतूडी	रा.इ.का. कोरुवा, देहरादून	कार्या. ख.शि.अ. यमकेश्वर, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
32	श्री नन्दन सिंह बिष्ट	रा.इ.का. दूनागिरी, अल्मोडा	रा.इ.का. सूपी, बागेश्वर	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
33	श्री प्रदीप पाठक	कार्या. ख. शि. अ., कपकोट, बागेश्वर	कार्या. मु.शि.अ. बागेश्वर	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
34	श्री प्रदीप सिंह बिष्ट	रा.इ.का. जैना, अल्मोडा	रा.इ.का. जौरासी, नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
35	श्री चन्द्र प्रकाश	रा.इ.का. कलौं, पौड़ी	रा.इ.का. पावों, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
36	पिंकी	रा.इ.का. साकिनखेत, पौड़ी	कार्या. उ.शि.अ. कल्जीखाल, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
37	श्री प्रयाग सिंह फरस्वाण	रा.इ.का. गरखा, पिथौरागढ़	डायट, नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
38	श्री मोहन सिंह नेगी	रा.इ.का. तपोवन, चमोली	रा.इ.का. लैंसडौन, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
39	श्री विजय प्रकाश	रा.इ.का. श्रीखेत, अल्मोडा	कार्या. उ.शि.अ. रामगढ़, नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
40	श्री सोहन सिंह	रा.इ.का. बारगांव, चमोली	रा.इ.का. जामनाखाल, पौड़ी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
41	श्री नारायण हरि श्रीवास्तव	रा.इ.का. खालसी, उत्तरकाशी	रा.क.इ.का. उत्तरकाशी	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
42	श्री पंकज जोशी	रा.इ.का. चौमूधार, अल्मोडा	कार्या. ख.शि.अ. रामगढ़ नैनीताल	दुर्गम से सुगम	—तदैव—
43	श्री नरेन्द्र सिंह	रा.इ.का. गैरनगुण टि.ग.	कार्या. ख.शि.अ. प्रतापनगर, टि.ग.	दुर्गम से सुगम	—तदैव—

44	श्री थान सिंह बिष्ट	रा.इ.का. कुण्डबगड, चमोली	रा.इ.का. ग्वाड, देवलधार, चमोली	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर
45	श्री कमलेश सिंह कुलौरा	रा.इ.का. गुनियालेख, नैनीताल	डायट, वागेश्वर	दुर्गम से सुगम	—तदेव—

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


1. स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक जिनका विद्यालय/कार्यालय जनपद हरिद्वार एवं चमोली के अन्तर्गत है, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त दोनो जनपदों में विधान सभा उप चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त ही कार्यग्रहण/कार्यभार मुक्त करेंगे।


(कमला बड़वाल)
6/2024

प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/सेवायें-3(2)/वा० स्था०/ 4384-4398 /2024-25, तददिनांक।

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
 6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
 7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
 8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
 9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
 10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
 11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
 12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 13. सम्बन्धित प्रधान सहायक।
 14. एम०आई०एस० प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
 15. कार्यालय गार्ड फाईल।


प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
6/2024

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/वा0स्था0/

158

/2024-25, दिनांक: 19 जून, 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश संख्या 1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15 जून, 2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : विविध/2116-22/स्था0 बैठक/2024-25, दिनांक 02 मई, 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 एवं धारा-17 (1) ख (एक से सात) में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35400-112400, लेवल-06) का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप विजल्व्याण	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, वीरोंखाल पौड़ी गढ़वाल	रा.वा.इ.का. चम्बा, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (एक)	उपलब्ध रिक्त पद पद
2	श्री गणेश सिंह रौतेला	राजकीय इन्टर कॉलेज लीली, कपकोट बागेश्वर	रा.इ.का. खुड़बुडा, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
3	श्री पुष्पा काण्डपाल	राजकीय इन्टर कॉलेज बसन्तपुर, कमगड़ा अल्मोड़ा	कार्या. जि. शि.अ. (मा.शि.) अल्मोड़ा	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
4	श्री देवेन्द्र सिंह	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भैसियाछाना, अल्मोड़ा	कार्या. ख.शि.अ. हल्द्वानी, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
5	श्री हेमन्त जोशी	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा नैनीताल	कार्या. जि.शि.अ. (प्रा.शि.) नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
6	श्री योगेश तिवारी	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी नैनीताल	कार्या. जि. शि.अ. (प्रा.शि.) अल्मोड़ा	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
7	श्री विजय कुमार	राजकीय इन्टर कॉलेज मकूना, ताकुला अल्मोड़ा	रा.इ.का. हैड़ाखान, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
8	श्री विमल प्रसाद गैरोला	राजकीय इन्टर कॉलेज, उज्जवलपुर चमोली	रा.इ.का. सौडा सरोली, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
9	श्री हेमन्त कुमार	राजकीय इन्टर कॉलेज भूलीगांव, गंगोलीघाट पिथौरागढ़	रा.इ.का. गरजोली, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (एक)	—तदैव—
10	श्री जसबीर सिंह	रा.इ.का. लम्बगांव, उत्तरकाशी	रा.इ.का. दीनगांव, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (दो)	—तदैव—
11	श्रीमती अम्बिका भण्डारी	राजकीय इन्टर कॉलेज बीरेन्द्रकोट, जाखणीघार टिहरी	रा.इ.का. ज्ञानसू चम्बा टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
12	श्रीमती सुमन देवी	रा.इ.का. चिल्हाड, चकराता, देहरादून	रा.इ.का. पौंघा, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
13	श्रीमती दीना पंवार	राजकीय इन्टर कॉलेज कैलाश बांगर जखोली रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. पांजणा, रुद्रप्रयाग	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—

14	श्रीमती बबली राणा	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत	रा.इ.का. डोवाभागू, चम्पावत	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	उपलब्ध रिक्त पद पद
15	श्रीमती दर्शिका गुप्ता	राजकीय इन्टर कॉलेज रेगडू, चम्पावत	रा.इ.का. जयनगर, उ0सि0न0	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
16	श्रीमती सरिता	राजकीय इन्टर कॉलेज गरसाडी पाटी चम्पावत	कार्या. उ.शि.अ. खटीमा, उ.सि.न	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
17	श्रीमती सुमित्रा कुमारी	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, नैनीडांडा पौड़ी गढ़वाल	कार्या.उ.शि.अ. नारसन, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
18	श्रीमती सुनीता मेहरा	राजकीय इन्टर कॉलेज सिनलेख, पिथौरागढ़	रा.इ.का. चौराहावालबाग, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
19	श्री ममता पन्त	राजकीय इन्टर कॉलेज, कोचियार पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. टोटाम, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
20	श्री आलोक कुमार मिश्रा	राजकीय इन्टर कॉलेज बधर, कपकोट बागेश्वर	कार्या. ख.शि.अ. ओखलकाण्डा, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
21	श्रीमती रेनू लिंगवाल	राजकीय इन्टर कॉलेज, वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल	कार्या. उ.शि.अ. जहरीखाल, पौड़ी	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
22	श्रीमती विनोदा देवी भट्ट	कार्या. जि0शि0अ0 (मा0शि0) रुद्रप्रयाग	कार्या. ख.शि.अ. कर्णप्रयाग, चमोली	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—
23	श्री संजय गुनियाल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, गरुड़ बागेश्वर	रा.इ.का. काण्डई, चमोली	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
24	श्री ज्योति सागर पाण्डेय	राजकीय इन्टर कालेज उत्तमसौणी, अल्मोडा	रा.इ.का. सिलोर महादेव, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
25	श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत	अटल उत्कृष्ट राजकीय इन्टर कॉलेज कोदुली चमोली	रा.इ.का. निजमुला, दशोली चमोली	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
26	श्री सन्तोष कड़ाकोटी	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नैनीडांडा	रा.इ.का. हिनौला, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
27	श्री सुमित कनवाल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, भैंसियाछाना, अल्मोडा	रा.इ.का. रेंगल, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
28	श्री नीरज चौहान	राजकीय इन्टर कॉलेज सेल, पिथौरागढ़	रा.इ.का. कमलेश्वर, पिथौरागढ़	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
29	श्री प्रदीप सिंह बिष्ट	रा.इ.का. जैना, अल्मोडा	रा.क.इ.का. ताड़ीखेत, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
30	श्री योगेन्द्र सिंह रावत	रा.इ.का. तोलीसैण, मुखेम टि.ग.	कार्या. ख.शि.अ. मोरी, उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
31	श्री पंकज जोशी	राजकीय इन्टर कॉलेज चौमूधार, अल्मोडा	रा.इ.का. बसर, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
32	श्री थान सिंह बिष्ट	रा.इ. का. कुण्डवगड़, नंदानगर चमोली	रा.इ.का. खिरसू, पौड़ी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
33	श्री मनीष चौधरी	रा.इ.का. डांगी, नैलवामी, भिलंगना टि.ग.	कार्या. ख. शि. अ. जखौली रुद्रप्रयाग	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
34	श्री पूनम भोज	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, धौलादेवी, अल्मोडा	कार्या. ख.शि.अ. धौलादेवी, हवालबाग अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
35	श्री आशीष बिष्ट	राजकीय इन्टर कॉलेज, डाबरी, पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. कांडाखाल, पौड़ी गढ़वाल	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—

36	श्री विजय सिंह राणा	रा. आदर्श इ. कॉ. ग्वालदम, चमोली	रा.इ.का. भंकोली उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	उपलब्ध रिक्त पद पद
37	श्री संजय कुमार	रा.इ.का. ल्वाणी, देवाल, चमोली	रा.इ.का. ओडाडा, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
38	श्री सुभाष सिंह बिष्ट	राजकीय इन्टर कॉलेज कुराड़, थराली चमोली	रा.इ.का. मठियाली, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
39	श्री देवेन्द्र सिंह	राजकीय इन्टर कॉलेज खेला, धारचूला	रा.इ.का. घेरूवा, पौड़ी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
40	श्री विनोद सिंह नेगी	राजकीय इन्टर कॉलेज गुलियारी, पौड़ी गढ़वाल	कार्या. ख.शि.अ. खिर्सू, पौड़ी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
41	श्री कुलदीप सिंह कनवासी	राजकीय इन्टर कॉलेज अंसौं, बागेश्वर	रा.इ.का. केराड़, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
42	श्री योगेन्द्र सिंह बिष्ट	राजकीय इन्टर कॉलेज त्यूंखर, जखोली रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. केशरधार, नैचोली, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
43	श्री मेहरबान सिंह पटवाल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. बांगीधार, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
44	श्री रघुवीर सिंह नेगी	राजकीय इन्टर कॉलेज छड़नदेव, पिथौरागढ़	रा.इ.का. बुल्हाड़, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
45	श्री कपिल देव नैथानी	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखरी, चमोली	रा.इ.का. भरेटीधार, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
46	श्री मोहम्मद परवेज	राजकीय बालिका इन्टर कॉलेज स्याल्दे अल्मोडा	रा.इ.का. खनस्यू, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
47	श्री उमेश चन्द्र	राजकीय इन्टर कॉलेज खीड़ा, चौखुटिया अल्मोडा	रा.इ.का. महतगांव, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
48	श्री दीपक चन्द्र	राजकीय इन्टर कॉलेज नारायणबगड़, चमोली	रा.इ.का. नागराजधार कडाकोट, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
49	श्री सोबेन्द्र सिंह नेगी	राजकीय इन्टर कॉलेज कटूड़खाल, थलीसैण पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. मालनाधार, उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
50	श्री हरिओम सिंह	राजकीय इन्टर कॉलेज, भगवती तलिया, पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. मछोड, अल्मोडा	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
51	श्री प्रसन्नजीत सिंह	राजकीय इन्टर कॉलेज बाँसबगड़, मुनस्यारी	राजकीय इन्टर कॉलेज बाँस, विण पिथौरागढ़	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
52	श्री सुनील सिंह बिष्ट	रा.इ.का. कुलसारी, थराली चमोली	रा.इ.का. राधूधार, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
53	श्री उदय सिंह भण्डारी	राजकीय इन्टर कॉलेज नायल, पिथौरागढ़	कार्या. उ.शि.अ. ओखलकांडा, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
54	श्री हरिकृष्ण उपाध्याय	राजकीय इन्टर कॉलेज तेजम, पिथौरागढ़	रा.इ.का. पैटना, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
55	श्री अनिल कुमार नाटियाल	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पोखड़ा पौड़ी	कार्या. उ.शि.अ. खिर्सू, पौड़ी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
56	श्री अरविन्द कुमार	कार्या. उ. शि. अ., भटवाड़ी उत्तरकाशी	रा.इ.का. श्रीकालखाल, उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
57	श्री प्रवीन उनियाल	राजकीय इन्टर कॉलेज पिलखी, पिथौरागढ़	रा.इ.का. देवताधार, टि.ग.	धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—

२

Ar

५


58	श्री राजेश जोशी	अटल उत्कृष्ट राजकीय इन्टर कॉलेज चौड़ाकोट मेहता चम्पावत	रा.इ.का. नैनीताल	गरगड़ी,	धारा 17 (1) (ख) (छः)	उपलब्ध रिक्त पद पद
59	श्रीमती रजनी रावत	रा.इ.का. कपरोली, थलीसैण पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. श्रीकोटखाल, पौड़ी		धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
60	श्री कृष्ण चन्द्र जोशी	कार्या. ख. शि. अ. स्यालदे, अल्मोडा	रा.इ.का. कोटाचामी, अल्मोडा		धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
61	श्री नवीन चन्द्र	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी स्यालदे अल्मोडा	कार्या. ख.शि.अ. भिकियासैण, अल्मोडा		धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
62	श्री सुमित कुमार	राजकीय इन्टर कॉलेज चौड़ाकोट चम्पावत	कार्या. उ.शि.अ. पाटी, चम्पावत		धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
63	श्री उमेश कुमार	रा0इ0का0 देवीथल लमगडा अल्मोडा	कार्या. उ.शि.अ. लमगडा, अल्मोडा		धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
64	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	रा0इ0का0 चकडोबा, ओखलकाण्डा, नैनीताल	रा.इ.का. ओखलकाण्डा, नैनीताल		धारा 17 (1) (ख) (छः)	—तदैव—
65	श्री प्रहलाद सिंह निरखुपा	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल	कार्या. उ.शि.अ. मुनस्यारी, पिथौरागढ़		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
66	श्री उमेश चन्द्र	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी गैरसैण, चमोली	कार्या. ख.शि.अ. थराली, चमोली		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
67	श्री जुगल किशोर	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खटीमा ऊधमसिंह नगर	रा.इ.का. चौरलेख, नैनीताल		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
68	श्री दीपचन्द्र शाह	राजकीय इन्टर कॉलेज दोमटखाल, पौड़ी गढ़वाल	रा.इ.का. आछरीखुण्ट टि.ग.		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
69	श्री प्रमोद सिंह मटूडा	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी नौगांव, उत्तरकाशी	कार्या. ख.शि.अ. भटवाड़ी, उत्तरकाशी		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
70	श्री पंकज कुमार भट्ट	राजकीय इन्टर कॉलेज देवरी, खटीमा ऊधमसिंह नगर	रा.इ.का. अस्कोट, पिथौरागढ़		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
71	श्री भावेश कुमार	राजकीय इन्टर कॉलेज बन्नाखेड़ा, बाजपुर ऊधमसिंह नगर	रा.इ.का. मानिला, अल्मोडा		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
72	श्री प्रदीप सिंह रावत	कार्या. मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. असेड, सिमली, चमोली		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
73	श्री सचिन सिंह बिष्ट	कार्या. ख.शि.अ. एकेश्वर, पौड़ी	रा.इ.का. नौगांवखाल, पौड़ी		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
74	श्री लोकेश कुमार	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० पिथौरागढ़	रा.इ.का. जाजली, अल्मोडा		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—
75	श्री देवराज सिंह मर्तोल्या	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुनाकोट, पिथौरागढ़	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी, कनालीछीना, पिथौरागढ़		धारा 17 (1) (ख) (सात)	—तदैव—

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-



142 2

1. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक जिनका विद्यालय/कार्यालय जनपद हरिद्वार एवं चमोली के अन्तर्गत है, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त दोनों जनपदों में विधान सभा उप चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त ही कार्यग्रहण/कार्यभार मुक्त करेंगे।



 (कमल बहदुराज)
 प्रभारी अपर निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/सेवार्ये-3(2)/वा0 स्था0/ 4399-4414

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद हरिद्वार एवं चमोली को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित प्रधान सहायक।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


 प्रभारी अपर निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 ननूरखेडा, देहरादून
 Ar

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/वा0स्था0/

159

/2024-25, दिनांक: 19 जून, 2024


विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश संख्या 1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15 जून, 2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : विविध/2116-22/स्था0 बैठक/2024-25, दिनांक 02 मई, 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07 एवं धारा-10 में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित वाहन चालक का उसी पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वाहन चालक का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विक्रम सिंह नेगी	कार्या. मु.शि.अ. टि.ग. नरेन्द्र नगर	कार्या. मु.शि.अ. उत्तरकाशी	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर
2	श्री हरीश चन्द्र	म.अ.नि.प्रा.शि. कुमाऊं मण्डल नैनीताल	कार्या. मु.शि.अ. चम्पावत	सुगम से दुर्गम	—तदेव—

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।




 (कमल बड़वाल) 6/2024
 प्रभारी अपर निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पु0सं0/सेवायें-3(2)/वा0स्था0/ 4415-4431 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- संयुक्त निदेशक, लेखा स्थापना, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।

9. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.), सम्बन्धित जनपद।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु0शि0अ0)
13. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. सम्बन्धित वाहन चालक।
15. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
16. कार्यालय गार्ड फाईल।


प्रभारी अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून


निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/वा0 स्था0/

160

/2024-25, दिनांक : 19 जून, 2024

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश संख्या I/130236/XXX(2)/2023/E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15 जून, 2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : विविध/2116-22/स्था0 बैठक/2024-25, दिनांक 02 मई, 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 एवं धारा-17 (1) ख (एक से सात) में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित वाहन चालक का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	वाहन चालक का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कन्हैया प्रसाद नौटियाल	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड	कार्या. जि0शि0अ0 (मा0शि0) उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ख) (सात)	उपलब्ध रिक्त पद पर

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।


(कमलेश बठनागर)

प्रभारी अपर निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/सेवायें-3(2)/वा0 स्था0/ 4432-4446 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)

12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित वाहन चालक।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


प्रभारी अपर शिक्षिक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
